below poverty line would constitute 75 per cent of the total population living in absolute poverty ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) and (b). The editorial in the Business Standard of the 21st January, 1984, refers to a study according to which, by the turn of the century, the population of India could escalate to the 100 crore level and people living below the poverty line in India would constitute nearly 75 per cent of the total population living in absolute poverty in all the developing countries, (and not 75 per cent of the population of India). There is no specific mention of the title of the Study or its author. Therefore, the validity of the results, in the absence of knowledge about the inherent assumptions, cannot be gauged. The Government of India have already spelled out in plan documents a number of measures relating to control of population growth and alleviation of poverty. In the forthcoming plans, the endeavour would be to intensify efforts towards these ends.

बिहार में खनिजों पर आधारित उद्योग

6378. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटा नागपुर में खनिज पर आधारित कुछ उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और उनके लिए प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) राज्य सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों जैसे कोयला, चूनापत्थर, अभ्रक, बाक्साइट तथा लौह अयस्क का पता लगाने के लिए अध्ययन किए हैं।

(ख) छोटा नागपुर क्षेत्र में पहले ही कार्यरत कई खनिज आधारित उद्योगों के अतिरिक्त, जदुनाथपुर में एक बड़े सीमेंट संयंत्र तथा चन्दील में एक स्पोंज आयरन प्लांट हेतु राज्य सरकार ने आशय पत्र प्राप्त किया है। जबकि रामगढ़ और बेनतिबागदा में दो लघु सीमेंट संयंत्रों हेतु प्रस्ताव तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास भेजे गए हैं, रामगढ़ में एक लघु सीमेंट संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया है। रांची में एक बड़े सिरामिक कैंपसिटर यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है। झुमरी तलैया में अभ्रक आधारित उद्योग कार्यान्वयन के अन्तर्गत है। प्रस्तावित परियोजनाओं में रामगढ़ रांची, बर्वाडीह तथा पलामू में क्रमश: कोक, घरेलू कोक, कोयला आधारित उर्वरक, मैथानोल संयंत्र हैं तथा धनबाद, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में बाक्साइट, कायनाइट, ग्रेफाइट आदि के केलशिनेशन तथा परिष्करण संयंत्र भी हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Committee Appointed to Examine the Impact of Food for Work and Antyodaya Scheme

6379. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that evaluation committee of the Planning Commission appointed to examine the impact of 'Food for Work' and 'Antyodaya Scheme' had come to the conclusion that these schemes had helped "the poorest among the poor" ; and

(b) if so, the reasons for disbanding these schemes ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S.B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The Antyodaya and the Food for Work Programme were refined, restructured and systematically extended to cover the

entire country through the Integrated Rural Development Programme (IRDP) and the National Rural Employment Programme (NREP) respectively.

अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने के लिए विधान

6380. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान दिनांक 5 अगस्त, 1983 को अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने और उसे बढ़ाने के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा का उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने यह कहा था कि इस बारे में तेरहवें सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो तेरहवें सत्र के दौरान यह विधेयक पेश न करने के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी अड़चनों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) यह विधेयक अब कब तक पेश कर दिया जाएगा तथा इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ; और

(घ) पूरे देश में खटीक, धोबी, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 5 अगस्त, 1983 को गृह राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

> "मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि सम्भव हो तो संसद के अगले सत्र में विधेयक सदन में पेश किया जाए।"

(ख) से (घ) सारे देश में अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक, बेरवा, धोबी, मल्लाह आदि को शामिल करने के प्रस्ताव के साथ अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के परामर्श से और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मामले में अपनाए जाने वाले संबंधित मानदण्डों के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्यों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

देश में प्रति व्यक्ति आय

6381. **श्री चतुर्भुज** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 से 1983 तक संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों की वर्ष-वार प्रति व्यक्ति आय क्या थी ;

(ख) रेल, सड़क, उद्योग, संचार, सिंचाई और बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया ;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय और विकास स्तर में असंतुलन के प्रश्न पर केन्द्रीय स्तर पर विचार किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपरोक्त असंतुलन को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?